उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की बैठक दिनांक 27•9•1993 को नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर लखनऊ मे हुई वर्ष 1993 की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 27•9•1993 को हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः-

1•	सर्व श्री बाबू राम	अध्यक्ष/ आवास आयुक्त	अध्यक्ष
2•	श्री प्रदीप कुमार	सचिव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (प्रमुख सचिव/महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
3•	श्री शंकर अग्रवाल	विशेष सचिव वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
4•	श्री ब्रज मोहन मीना	विशेष सचिव आवास (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
5•	श्री हरेकृष्ण शर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
6•	श्री आशुतोष त्रिपाठी	मुख्य अभियन्ता (प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम के प्रतिनिधि)	सदस्य
7•	श्री दीपक कृष्ण वर्मा	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव

विशेष आमंत्री के रूप में

1•	श्री एस0के0 वर्मा	मुख्य अभियन्ता
2•	श्री आर0एस0 दोहरे	वित्त नियंत्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी
3•	श्री ए0के0 पचौरी	मुख्य वास्तुविद् नियोजक

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया-

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1•	परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 6•7•93 के कार्यवृत्त की पुष्टि	चतुर्थ/(1)/93	कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
2•	राजाजीपुरम लखनऊ के सेक्टर-13 में प्रस्तावित 36 नग दुर्बल आय वर्ग/18/40) भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	चतुर्थ/(2)/93	इस प्रकरण में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिये आयुक्त सक्षम हैं। इसे परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। अवलोकन किया गया।

1	2	3	4
3.	राजाजीपुरम् योजना लखनऊ के सेक्टर-17 में प्रस्तावित 5 नग अल्प आय वर्ग भवन (29/60) प्रकार भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में	चतुर्थ/(3)/93	इस प्रकरण में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिये आयुक्त सक्षम हैं। इसे परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। अवलोकन किया गया।
4.	परिषद में डिपाजिट कार्यों की स्थिति।	चतुर्थ/(4)/93	अवलोकन किया गया।
5.	भवनों/भूखण्डों के विक्रय के संबंध में।	चतुर्थ/(5)/93	शासन द्वारा दी गई छूट की सीमा तक प्रस्ताव स्वीकृत। साथ ही में परिषद ने अनिर्माण शुल्क के संबंध में भी विचार किया और निर्णय लिया गया कि जो सुविधा शासनादेश द्वारा शासकीय सेवकों को दी जा रही है, उसे परिषद के आवंटियों को भी प्रदान किया जाये।
6.	वर्ष 1989-90 की बैलेन्स शीट हेतु परिषद की व्याख्यात्मक टिप्पणी	चतुर्थ/(6)/93	बैलेन्स शीट अनुमोदित की गई। यह अपेक्षा की गई कि वर्ष 92-93 की नवीन स्थिति से परिषद को अवगत कराया जाये। भविष्य में बैलेन्स शीट त्रैमासिक रूप से तैयार करने का प्रयत्न किया जाये।
7.	सहायक श्रेणी द्वितीय के पद पर सीधी भर्ती का प्राविधान समाप्त किये जाने के संबंध में।	चतुर्थ/(7)/93	डेफर किया गया।
8.	प्रतिनियुक्ति रिजर्व एवं लीव रिजर्व में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के दो पदों का सृजन।	चतुर्थ/(8)/93	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया
9.	परिषद की डायमण्ड डेरी योजना के अन्तर्गत श्रीमती सुखदा मिश्रा (भूतपूर्व ग्राम्य एवं नगर विकास मंत्री, उ0प्र0) को आवंटित भवन संख्या 37 के विरुद्ध देय दण्ड ब्याज को माफ करने के संबंध में।	चतुर्थ/(9)/93	इस प्रकरण पर मा0 उच्च न्यायालय के भी आदेश प्राप्त हो गये हैं। अतः प्रस्ताव वापस लिया जाता है।
10.	डा0 कृष्णदेव मिश्र, कानपुर को जनता ऋण योजना में स्वीकृत रु0 80,000/- के ऋण पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ करने के संबंध में।	चतुर्थ/(10)/93	इस प्रकरण पर परिषद के आयुक्त को गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया।
11.	श्री बी0बी0भट्ट आवंटी 14/41 इन्दिरा नगर लखनऊ के आवंटन पत्र पर ब्याज माफ करने के संबंध में।	चतुर्थ/(11)/93	परिषद ने प्रकरण का पुनरीक्षण कर आयुक्त को गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया।

...3

1	2	3	4
12.	आशुलिपिक ग्रेड-2 के दो पद निजी सचिव ग्रेड-2 में उच्चीकृत करने के संबंध में।	चतुर्थ/§12§/93	डेफर किया गया। अन्य निगमों में क्या व्यवस्था है। इस पर प्रकाश डालते हुए आवश्यकतानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाये।
13.	अधीक्षण अभियन्ताओं के पदों को स्थायी किये जाने के संबंध में।	चतुर्थ/§13§/93	प्रकरण शासन को विचारार्थ प्रेषित किया जाये।
14.	साइक्लोस्टाइल आपरेटर को वेतनमान रु0 950-1500 दिये जाने के संबंध में।	चतुर्थ/§14§/93	परिषद ने प्रस्ताव को अस्वीकार किया।
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमान रु0 870-1052 को वेतनमान रु0 950-1500 किये जाने के संबंध में।	चतुर्थ/§15§/93	शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही की जाये। प्रकरण शासन को विचार हेतु भी प्रेषित हो।
16.	दफ्तरी पद धारकों को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य करने के संबंध में।	चतुर्थ/§16§/93	शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही की जाये। प्रकरण शासन को विचार हेतु भी प्रेषित हो।
17.	डिप्लोमा होल्डर मस्टर रोल दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के दैनिक वेतन दरों में वृद्धि करने के संबंध में।	चतुर्थ/§17§/93	परिषद ने विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया।
18.	झूसी योजना सं0-4, इलाहाबाद, की धारा-31 §1§ की स्वीकृति	चतुर्थ/§18§/93	प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
19.	परिषद की काशीपुर योजना सं0-2 काशीपुर में समाविष्ट श्री नत्थू सिंह पुत्र श्री हरवंश सिंह की भूमि खसरा संख्या-160 के संबंध में।	चतुर्थ/§19§/93	प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
20.	परिषद में डिपाजिट एवं कन्सलटेन्सी सेल के गठन के संबंध में।	चतुर्थ/§20§/93	परिषद ने आवास आयुक्त को अपने स्तर से निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया।
21.	बल्क सेल के अन्तर्गत भूमि विक्रय करने से संबंधित गाइड लाइन्स के संबंध में।	चतुर्थ/§21§/93	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
22.	मंझोला भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या-4 मुरादाबाद में समाविष्ट श्री राम स्ट्रा बोर्ड मिल की भूमि के के संबंध में।	चतुर्थ/§22§/93	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया गया कि दूसरे पक्ष द्वारा इस भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जायेगा और यदि वह इस भूमि का उपयोग अन्य कार्य हेतु करते हैं तो सम्पत्ति पुनः परिषद द्वारा वापस ले ली जायेगी।

1	2	3	4
23.	वसुन्धरा योजना संख्या-3 गाजियाबाद में समाविष्ट मोहन नगर कर्मचारी सहकारी आवास समिति लिमिटेड, नरेन्द्र मोहन फाण्डेशन ट्रस्ट, नेशनल सिरियल्स प्रोडक्टस लिमिटेड तथा बिग्रिडयर कपिल मोहन आदि की भूमि के संबंध में।	चतुर्थ/§23§/93	प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
24.	मूल्यांकन निदेशिका में संशोधन के विषय में।	चतुर्थ/§24§/93	परिषद ने प्रस्ताव पर सिद्धान्त रूप मे सहमति व्यक्त की और अपेक्षा की कि इसे शासन को भी अनुमोदनार्थ भेजा जाये। यह भी बताया जाये कि प्राधिकरणों में क्या व्यवस्था है तथा इसके विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ना सम्भावित है।
25.	भूमि दरों के अद्यावधिक मूल्यांकन कम आने पर डिस्काउण्ट देने के संबंध में।	चतुर्थ/§25§/93	परिषद ने आयुक्त को अपने स्तर से इस प्रकरण पर निर्णय लेने की अपेक्षा की।
26.	परिषद के संकल्प संख्या 75/ चतुर्थ/92-93 एवं 76/चतुर्थ/ 92-93 दिनांक 8.2.93 द्वारा इन्दिरा नगर लखनऊ में अर्जन मुक्त भूमि पर निर्माण कार्य अनुमन्य करने के संबंध में।	चतुर्थ/§26§/93	स्वीकृत। भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण आयुक्त अपने स्तर से निर्णित किया करें।
27.	परिषद की फिरोजाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1, फिरोजाबाद में समाविष्ट भूमि खसरा सं0-588 एवं 589 ग्राम-दतौजी की भूमि के संबंध में।	चतुर्थ/§27§/93	अनुमोदित।
28.	लिपिकीय संवर्ग कर्मचारियों के प्रोन्नति वेतनमान की स्वीकृति।	चतुर्थ/§28§/93	इस विषय में शासन द्वारा जारी किये गये शासनादेश के अनुरूप पात्र कर्मचारियों को लाभान्वित किया जायें।
29.	दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विनियमतीकरण के संबंध में।	चतुर्थ/§29§/93	जो कर्मचारी विनियमतीकरण नियमावली से लाभान्वित होते हैं उन्हें लाभान्वित किया जाये। इस संबंध मे शासन को भेजे गये प्रकरण का भी अनुश्रवण कराया जाये।
30.	परिषद में कार्यरत लेखाकारों/ सहायक लेखाकारों की प्रोन्नति वेतनमान की स्वीकृति।	चतुर्थ/§30§/93	इस संबंध में शासन द्वारा जारी किये गये शासनादेश के अनुरूप पात्र कर्मचारियों को लाभान्वित किया जाये।

...5

1	2	3	4
31.	परिषद में सी0पी0एफ0 के स्थान पर पारिवारिक पेन्शन एवं ग्रेच्युटी योजना को लागू किया जाना।	चतुर्थ/§31§/93	यह मामला नीति विषयक है और शासन में भी विचाराधीन है। शासन को पुनः सन्दर्भित कर दिया जाये।
32.	परिषद में मस्टर रोल पर कार्यरत कर्मचारियों के दैनिक वेतन दरों में वृद्धि करने के संबंध में।	चतुर्थ/§32§/93	परिषद ने मंहगाई एवं परिषद की आर्थिक स्थिति को देखते हुये रू025/- के पारिश्रमिक को रू0 27/- किया जाना औचित्यपूर्ण पाया। तदनुरूप किये जाने हेतु शासन को संस्तुति भेजी जाये।
33.	परिषद मे कार्यरत मस्टर रोल कर्मियों के विनियमतीकरण के संबंध में।	चतुर्थ/§33§/93	मस्टर रोल कर्मियों का विनियमतीकरण का प्रस्ताव नियमानुसार नहीं है। ऐसे मस्टर रोल कर्मी जिनकी सेवायें अन्य विभागों को स्थानान्तरित की जानी है, केवल उनका विनियमतीकरण किया जाये। सभी रिक्त पद अभी रिक्त रखे जायें।
34.	विभिन्न पदों पर वेतन विसंगति	चतुर्थ/§34§/93	परिषद ने वेतन विसंगतियों पर विचार किया और अपेक्षा की कि इसे शीघ्र एनामली कमीशन को प्रेषित किया जाये।
35.	अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से	चतुर्थ/(35)/93	परिषद की बैठक का एजेण्डा भविष्य में एक सप्ताह पहले सदस्यों को भेजा जाये।

30.9.1993